न्यायालयः अवर न्यायाधीश प्रथम
व्यवहार न्यायालय, मधुबनी।

हकीयत वाद सं0 84/2020

आदेश दि0 27.01.2025

मोस्मात आशा देवी बनाम अनिरूद्ध महतो

वादी की ओर से अंदर आदेश 39 नियम 1 वो 2 दफा 151 सी.पी.सी. के अंतर्गत निषेधाज्ञा आवेदन दि0 23.11.2022 को दाखिल किया गया है जिस पर कारणपृच्छा नोटिस दि0 17.01.2023 को भेजा गया है। प्रतिवादी की तरफ से उपस्थिति पत्रक दाखिल किया गया है।

वादी का कहना है कि मद नं0 3 अर्जीदावी का अंश मद नं0 1 वो मद नं0 2 है जिस पर दखल की संपुर्ष्टि की प्राप्ति व अन्य अनुतोष हेतु मोकदमा दाखिल किया है। प्रतिवादी मुकदमा की जानकारी होने पर भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं व उक्त एराजी से बेदखली का ामकी देते हैं। उक्त एराजी वादी के दखल कब्जे में चली आ रही है अतः सुविाा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। प्रतिवादी के विरुद्ध निषेधाज्ञा का आदेश यदि पारित नहीं होता है तो वादी को अजीम नुकसानी वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा जो न्यायोचित नहीं है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अतः प्रतिवादी को मद नं0 3 की जमीन पर दखलंदाजी से प्रतिबंधित किया जाए।

प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से कारणपृच्छा एवं बयान तहरीर दाखिल कर कथन किया गया है कि वादी को यह वाद लाने का कोई हक व कानूनन औचित्य नहीं है। वादी ने खाता नं0 140 खेसरा नं0 834 व 835 पुराना वो 2437 नया रकवा 15 डिसमल यानी 3 कट्ठा 8 धुर मापी से शहर जमीन पर 3 कट्ठा 2 धुर पर अपना हकीयत वो स्वामित्व दर्शाने के लिए यह मुकदमा लाया गया है और इसी जमीन पर निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करना चाहते हैं जो सरासर गलत है, बल्कि सच्चाई यह है कि उक्त खाता व खेसरा व एराजी पर प्रतिवादी अनिरूध महतो वो राम कुमार महतो मुदा नं0 2 के दादा बौए लाल महतो के समय से ही दखल कब्जा में चला आ रहा है और वर्तमान में भी कायम है। प्रतिवादी का यह भी कथन है कि अरसा दराज तीनों पूर्व हिया लाल महतो, शांति लाल महतो उर्फ शांति महतो तथा मखन महतो पिता शंकर महतो की एक के बाद दूसरे की मृत्यु होने के पश्चात उनके औलाद आपसी सहमति से वर्ष 1968–69 में अपने खानदान की मारूसी वो खतियानी वो खरीदगी जमीन का बंटवारा कर लिए और अपने अपने हिस्से पर दखलकार हुए। जिस कदर फरीकेन को हिस्सा मिला उसके मुताबिक वादग्रस्त जमीन व अन्य खेसरात जमीन मुदालहूम नं0 1 के पिता वो नं0 2 के दादा बौएलाल महतो पिता मुन्नी लाल महतो के हक व हिस्सा में मिला जिस पर बौएलाल महतो दखलकार हुए और उनकी मृत्यु पश्चात मुदा0नं 1 व 2 का दखलकब्जा शांतिपूर्वक चला आ रहा है और वर्तमान में भी कायम है। वादग्रस्त जमीन रिभिजनल सर्वे खतियान प्लॉट नं0 2437 नया रकवा 15 डिसमल बौएलाल महतो के नाम से कायम है और उनके पुत्र

न्यायालयः अवर न्यायाधीश प्रथम
व्यवहार न्यायालय, मधुबनी।

हकीयत वाद सं0 84/2020

आदेश दि0 27.01.2025

मुदा0 नं0 1 एवं पुत्र व पोता है जो उनके दखल कब्जा में है एवं उक्त जमीन का जमाबंदी नं0 726 मुदा नं0 1 अनिरूद्ध प्रसाद महतो उर्फ अनिरूद्ध सिंह पिता स्व0 बौए लाल महतो के नाम से अंचल कार्यालय खजौली के पंजी 2 में बिहार सरकार द्वारा कायम है जिसका नियमित रूप से मालगुजारी रसीद प्राप्त करते आ रहे है। उक्त कथनों के आधार पर वादी की ओर से दाखिल निषधाज्ञा आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन करते हैं।

अभिलेख एवं अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि मुदई ने यह हकीयत वाद एराजी सयमोतनाजा पर हकीयत एवं दखल कब्जा की संपुष्टि हेतु लाया तथा प्रतिवादीगण उक्त सयमोतनाजा पर केबाला के आधार पर दावा करते है। चूंकि मामले का उचित साक्ष्यों के आधार पर निष्पादन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय यह पाती है कि वादी के पक्ष में ना तो प्रथमदृष्टया मामला है और ना हिं सुविधा का संतुलन है। अभिलेख के परिशीलन से यह भी स्पष्ट होता है कि यदि वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा नहीं निर्गत होता है तो वादी को कोई ऐसा क्षति नहीं होगा जिसकी भरपाई मुद्रा के रूप में नहीं की जा सकती है। अतः उसकी ओर से दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अवर न्यायाधीश–।
मधुबनी